

2. Export Promotion Capital Goods Authorisation means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import of capital goods for physical exports.
3. "Export Oriented Unit" means an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit approved in accordance with the provisions of Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2015-20.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

सं. 47/2017-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-87 /2017/वाक/पांच(154). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम 2017 है ।
(2) ये उनके जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम 2017 में,
(i) नियम 89 के उप नियम (1) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-
"परंतु यह भी कि समझे गए निर्यातों के रूप में माने गए प्रदायों के बाबत, आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा, --
(क) समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता ; या
(ख) उन मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता ऐसी प्रदायों पर इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लेता है और इस आशय का वचनबंध देता है कि प्रदायकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा, वहां समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता";
(ii) नियम 96क के उपनियम (1) के खंड (क) में, "तीन मास की समाप्ति के पश्चात्" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
(iii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी - 01 में,
(क) "विवरण 2" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“विवरण 2 [नियम 89 (2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार :- कर के संदाय के साथ सेवाओं का निर्यात

(रकम रुपयों में)

क्रम सं.	बीजक ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बीआरसी/ एफआईआरसी		नामे नोट, यदि कोई हो, में अंतर्वर्तित एकीकृत कर और उपकर	जमापत्र, यदि कोई हो, में अंतर्वर्तित एकीकृत कर और उपकर	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10-11)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम		सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											।”

(ख) “विवरण 4” के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“विवरण 4 [नियम 89 (2)(घ) और 89 (2)(ड.)]

प्रतिदाय का प्रकार -- विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय पर) को की गई प्रदायों के मद्दे

(रकम रुपयों में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक ब्यौरे			पोतपरिवहन पत्र/ निर्यात बिल/ विशेष आर्थिक जोन पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नामे नोट यदि कोई हो, में अंतर्वर्तित एकीकृत कर और उपकर	जमा पत्र, यदि कोई हो, में अंतर्वर्तित एकीकृत कर और उपकर	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10-11)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10- 87/2017/वाक/पांच(154). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10- 87/2017/वाक/पांच(154), दिनांक 18-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 18th October 2017

NOTIFICATION
No. 47/2017 – State Tax

No. F-10- 87/2017/CT/V(154). — In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, –
- (i) in rule 89, insub-rule (1), for third proviso, the following proviso shall be substituted, namely :-
“Provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application may be filed by, -
 - (a) the recipient of deemed export supplies; or
 - (b) the supplier of deemed export supplies in cases where the recipient does not avail of input tax credit on such supplies and furnishes an undertaking to the effect that the supplier may claim the refund”;
 - (ii) in rule 96A, in sub-rule (1), in clause (a), after the words “after the expiry of three months”, the words “, or such further period as may be allowed by the Commissioner,” shall be inserted;
 - (iii) in FORM GST RFD-01,
 - (a) for “Statement-2”, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement- 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Exports of services with payment of tax

Sr. No.	Invoice details			Integrated tax		Cess	BRC/ FIRC		Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (6+7+10-11)
	No.	Date	Value	Taxable value	Amt.		No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											”.

- (b) for “Statement-4”, the following Statement shall be substituted, namely :-

“Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Integrated Tax		Cess	Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (8+9+10-11)
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable Value	Amt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.